सी.एस.आई.आर.- केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

संख्या Taxi/E-III/2012-13 दिनांक 06.09.2012

<u>निविदा सूचना</u>

संस्थान के विभिन्न कार्यों एवं परियोजनाओं के सम्पादन हेतु किराये पर टैक्सियों की आवश्यकता है । ये टैक्सियाँ ठेके पर निविदाएँ आमन्त्रित करके एक वर्ष-पर्यन्त आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जानी है । निम्नलिखित योग्यता रखने वाली फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स इस निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

योग्यताएँ :-

1. फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स जिनके पास उनकी स्वयं की एक टैक्सी (इन्डिगो/एम्बेसडर/ डिजायर/छोटी टैक्सियाँ आदि) तथा उनका पंजीकरण भी उनके नाम पर हो ।
2. फर्म को कार्यादेश दिये जाने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय में सर्विस टैक्स पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका निर्माण वर्ष निविदा वर्ष से 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
4. आयकर विभाग से फर्म के मालिक के नाम का PAN प्रमाण पत्र होना चाहिये ।
5. संस्थान में दो तरह के टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है । छोटे टैक्सी वाहन जैसे एम्बसडर,इन्डीगो/डिजायर आदि एवं बड़ी टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो, क्वालीस, टवेरा, इन्नोवा आदि इच्छुक निविदादाता जो उपरोक्त योग्यता रखते हों, वांछित प्रमाण पत्र/कागजात के साथ दिनांक 10.09.12 से 21.09.12 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक (प्रत्येक कार्य दिवस में) अनुभाग अधिकारी, ई -*III* सीरी मे ₹ 100/- जमा कर प्राप्त कर सकते हैं । दस्तावेज पूर्ण रूप से भर कर प्रशासनिक अधिकारी, सीरी के कार्यालय में दिनांक 24.09.12 को 3.00 बजे तक जमा करायें । इसके बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाऐगा । प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24.09.12 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जाऐगी ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बिंदू 2 के अनुपलब्धता होने की स्थिति में कार्यादेश रद्द माना जायेगा ।

निविदाओं का विस्तृत ब्यौरा सीरी की वेबसाइट www.ceeri.res.in पर भी देखा जा सकता है, परन्तु डाउन लोड किये हुए टेंडर फार्म स्वीकार नहीं किये जाएगे ।

प्रशासनिक अधिकारी

सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

संख्या Taxi/E-III/2012-13 दिनांक 06.9.2012

संस्थान में परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यों हेतु वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं । कृपया निम्निलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए टैक्सियाँ किराए पर देने की दरें लिख कर दिनांक 24.09.2012 को सायं 3.00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें । निविदाऐं दिनांक 24.09.2012 को सांय 3.30 बजे खोली जाएंगी ।

1. संस्थान को जब भी वाहनों की आवश्यकता होगी, वाहन 30 मिनट के अन्दर उपलब्ध कराना होगा ।
2. निविदादाता इस टेंडर फार्म के साथ संलग्न तालिका Annexure के दोनों categories में अपने किराये की दरें (प्रति कि.मी.) राशि लिखें । कार्यादेश मिलने वाले निविदा कर्मी को स्थानीय ड्यूटी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर टैक्सी उपलब्ध कराना होगाः-

(क) 6 घण्टे के समय तक के लिए Annexure की दरों पर 125 कि.मी. के लिये भुगतान किया जायेगा ।

(ख) यदि वाहन का उपयोग 6 घण्टे से अधिक समय के लिए होता है, तो अगले प्रत्येक घण्टे का 20 कि.मी. प्रति घण्टे के हिसाब से Annexure की दरों पर भुगतान किया जाएगा, हालांकि लोकल डयूटी में इसकी अधिकतम सीमा प्रति दिन 250 KM की (Annexure) की दर होगी ।

(ग) ठेके का चुनाव करते समय 80% weightage छोटे वाहन को तथा 20% बडे वाहन को दिया जाएगा । L - 1 का निर्धारण 80% व 20% weightage के बाद निम्नानुसार किया जायेगा

$$\frac{\text{छोटी टैक्सी के दर } X\ 80}{100} + \frac{\text{बडी टैक्सी के दर } X\ 20}{100}$$

3. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जो आवश्यकता पडने पर बढाया जा सकता है। सेवायें ठीक न होने पर निदेशक, सीरी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

4. अनुबंध के अंतर्गत लंबी दूरी के लिए पिलानी से बाहर जाने वाले वाहनों (For outstation taxi) के मामले में न्यूनतम दूरी के लिए 250 *KM* प्रतिदिन के किराये का भुगतान देय होगा ।

   (क) 'लोकल' शब्द से पिलानी के अन्दर व पिलानी के आस पास स्थित स्थान जैसे लुहारू, झुन्झूनू, चिडावा, सीकर, राजगढ, हिसार, भिवानी का अर्थ माना जायेगा ।

   (ख) 'आउट स्टेशन' शब्द का अर्थ है वह स्टेशन जो लोकल में नहीं आते जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पटियाला आदि ।

5.

   i) वातानुकूलित वाहनो का किराया सामान्य वाहनो के किराये से एक ₹ 1/-(एक रुपया) प्रति KM अधिक देय होगा ।

   ii) Pick and Drop के मामलों में सवारी के बैठे होने की स्थिति में ही *A/C* का किराया देय होगा अन्यथा खाली वाहन के लिये Non A/C की दरें देय होगी ।

   iii) रात्रि ठहराव (Night Stay) के मामले जहाँ A/C गाडी की requirement है, वहाँ तय की गई वास्तविक दूरी का ही A/C किराया देय होगा । इस स्थिति में न्यूनतम माइलेज व वास्तविक तय दूरी के अतंर के लिए Non A/C का किराया देय होगा ।

6. रात्रिकालीन शुल्क (Night charges) की राशि ₹ 100/- (एक सौ रूपये मात्र) देय होगा ।

7. फर्म को कार्यादेश दिये जाने के 15 दिनों के भीतर सीरी कार्यालय में सर्विस टैक्स पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसकी अनुपलब्धता होने की स्थिति में कार्यादेश रद्द माना जायेगा ।

8. टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा निर्माण वर्ष निविदा वर्ष से 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

9. वाहनों के सभी आवश्यक कागज अर्थात बीमा,पंजीकरण,ड्राइविंग लाइसेन्स, प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र, रोड -टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए । कागजों को पूरा करने का दायित्व इस संस्थान का नहीं होगा ।

10. संस्थान में दो तरह के टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है । छोटे टैक्सी वाहन जैसे एम्बैसडर,इन्डीगो,डिजायर आदि एवं बडे टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो,टेवेरा,इन्नोवा आदि ।
11. स्वीकृत निविदादाताओं को बतौर बयाना राशि ₹ 25000/-(पच्चीस हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफट(डी.डी) निदेशक,सीरी पिलानी के नाम से बना कर संग्लन करना होगा,अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी ।
12. फर्म के मालिक के पास स्वंय की एक टैक्सी वाहन जैसे एम्बेसडर/इंडिगो/डिजायर आदि होने चाहिए। वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएँ, अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेंगी।
13. संस्थान को वाहनों की आवश्यकता पड़ने पर निविदादाता को केवल वाणिज्यिक वाहनों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा संस्थान द्वारा बाहर से किराये पर लिए गए वाहनों का खर्च निविदादाता को ही वहन करना होगा ।
14. वाहनों में किसी प्रकार की मरम्मत के व्यय का दायित्व संस्थान का नहीं होगा ।
15. फर्म द्वारा संस्थान को वाणिज्यिक टैक्सी ही प्रदान करनी होगी ।
16. वाहन अन्दर-बाहर से साफ सुथरे होने चाहिये, सीटों के कवर सफेद, धुले तथा प्रेस किए हुए होने चाहिए, तथा वाहन चालक वर्दी में होने चाहिए ।
17. यात्रा शुरू करने के स्थान पर वाहन निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा जुर्माने के रूप में ₹ 200/- की कटौती वाहन के यात्रा बिल से की जा सकती है । वाहन चालक दी गई ड्यूटी के लिए बाध्य होगा ।
18. वाहन में निष्पादन (performance) तथा अनुरक्षण (Maintenance) संबंधी शिकायत मिलने पर शिकायतों को तुरंत दूर करना होगा अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जाऐगा ।
19. आमतौर पर निविदादाता को यात्रा की समाप्ति की तिथि से 07 दिनों के अन्दर टैक्सी बिल प्रस्तुत करना होगा ।
20. केवल मुद्रित बिल ही स्वीकार किये जायेगें । बिल की (02) दो प्रतियाँ देनी होंगी ।
21. बिल में किलोमीटर का ब्यौरा संस्थान में उपलब्ध प्रारूप (duty slip) के अनुसार देना अनिवार्य होगा ।

22. वाणिज्यिक वाहनों के किराए के बिलों का भुगतान बिल प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर RTGS/NEFT/ECS द्वारा किया जाऐगा ।

23. संस्थान द्वारा किसी भी टैक्सी के पंजीकरण / बीमा, जमा किए गए टैक्स आदि की रसीद माँगी जा सकती है ।

24. निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक नियमों आयकर, सेवाकर, वाणिज्यिक, श्रम नियम आदि प्रावधान का पालन करना होगा । यदि कोई विधान द्वारा संस्थान को इस संबंध में कोई कर अदा करने के लिए सम्मन मिलेगा तो उसकी वसूली निविदादाता के बिलों/धरोहर राशि से की जाएगी व शेष राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान करने के लिए निविदादाता कानूनी तौर पर बाध्य होगा ।

25. सामान्यतः गाड़ियाँ दिल्ली/जयपुर जाती हैं, पर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात, उतराचंल आदि भी जा सकती है, जिसके रोड टैक्स इत्यादि करों के बारे में संस्थान की कोई देनदारी नहीं होगी ।

26. पिलानी से बाहर की डयूटी करने पर ड्राइवर के ठहरने की व्यवस्था व अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा ।

27. यात्रा के दौरान वाहन के ब्रेक डाउन/खराब हो जाने अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थिति आने पर वाहन चालक/निविदादाता को शेष यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी एवं उस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना होगा, अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर उस यात्रा का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ₹ 1000/-*Penalty* दंड शुल्क वसूल किया जायेगा।

28. अनुबंध समाप्त करने व जारी रखने का अधिकार निदेशक सीरी पिलानी के पास सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदाएँ *(Conditional Tender)* स्वीकार नहीं किये जाऐगें ।

29. अनुबंधित अवधि के दौरान किराये की निर्धारित दरों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्निर्धारण पर विचार नहीं किया जाएगा ।

30. जिस फर्म/एजेन्सी को काम करने का कार्यादेश दिया जायेगा उस फर्म/एजेन्सी को पिलानी में कार्यालय खोलना आवश्यक होगा ।

31. निदेशक,सीरी, पिलानी को किसी/सभी निविदाओं को अस्वीकार करने तथा किसी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । साथ ही उन्हें बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार भी होगा।

32. उपरोक्त में से किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार निदेशक, सीरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रशासनिक अधिकारी